(1) वाउचर सहित आउटडोर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा में वृद्धि।

वर्तमान में, वाउचर सहित आउटडोर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 01-04-2020 के अनुसार 12 दिनों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर निर्धारित की गई है। BSNLEU इस राशि को संशोधित करने की लगातार मांग कर रहा है। आज की बैठक में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया गया। निदेशक (मानव संसाधन) ने इसकी समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

(2) ईपीपी और एनईपीपी के बीच भेदभाव दूर करना।

एनईपीपी के अंतर्गत, नॉन एक्ज़िक्यूटिव कर्मचारियों को 8 वर्ष पूरे होने पर पदोन्नति मिल रही है। जबकि, ईपीपी के अंतर्गत, एक्ज़िक्यूटिव्स को 5 वर्ष पूरे होने पर पदोन्नति मिल रही है। पिछली नेशनल काउंसिल की बैठक में, BSNLEU ने मांग की थी कि नॉन एक्ज़िक्यूटिव कर्मचारियों को भी 5 वर्ष पूरे होने पर पदोन्नति मिलनी चाहिए। उस बैठक में, निदेशक (मानव संसाधन) ने इस भेदभाव को दूर करने के लिए एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया था। हालाँकि, इस समिति के गठन में देरी हो रही है। कल की बैठक में, यह बताया गया कि समिति का गठन 09-07-2025 को किया गया है। BSNLEU ने मांग की कि समिति द्वारा BSNLEU के विचारों को सुना जाना चाहिए।

(3) रिक्त वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए पंजाब सर्कल में आयोजित जेटीओ एलआईसीई के परिणाम घोषित।

कल, BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) के साथ एक औपचारिक बैठक की। इस बैठक में BSNLEU ने ज़ोर देकर कहा कि, रिक्त वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए आयोजित जेटीओ एलआईसीई को रद्द करने का कॉर्पोरेट कार्यालय का निर्णय एक गलत निर्णय था। BSNLEU ने दृढ़ता से मांग की कि तीनों जेटीओ एलआईसीई के परिणाम तुरंत घोषित किए जाएं और सफल उम्मीदवारों को अतिरिक्त पद सृजित करके पदोन्नत किया जाए। BSNLEU ने निदेशक (मानव संसाधन) को समझाया कि इससे पहले, बीएसएनएल प्रबंधन ने स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से चयनित जेटीओ की पदोन्नति की रक्षा के लिए हजारों अतिरिक्त जेटीओ पद सृजित किए थे। गंभीर विचार-विमर्श के बाद, निदेशक (मानव संसाधन) BSNLEU के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमत हो गए।

(4) सातवें वेतन आयोग के वेतनमान के आधार पर केज़्युअल श्रमिकों के वेतन में संशोधन।

BSNLEU लगातार सातवें वेतन आयोग के वेतनमान के आधार पर केज़्युअल श्रमिकों के वेतन में संशोधन की मांग कर रहा है। वर्तमान में, आकस्मिक श्रमिकों को छठे वेतन आयोग के वेतनमान के आधार पर वेतन दिया जाता है। BSNLEU मांग कर रहा है कि आकस्मिक श्रमिकों और टीएसएम के वेतन में सातवें वेतन आयोग के वेतनमान के आधार पर संशोधन किया जाए। प्रबंधन इस मांग पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है।

(5) सभी खेल गतिविधियों को स्थगित करने के निर्णय की समीक्षा।

BSNLEU ने पहले ही मांग की है कि सभी खेल गतिविधियों को स्थगित करने संबंधी कॉर्पोरेट कार्यालय के दिनांक 29-04-2025 के पत्र को वापस लिया जाए। कल की बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया। BSNLEU ने मांग की कि सभी खेल गतिविधियाँ बहाल की जाएँ और खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए प्रतिदिन 2 घंटे/4 घंटे का अवकाश भी दिया जाए। लंबी चर्चा और BSNLEU द्वारा दिए गए कई उदाहरणों के बाद, निदेशक (मानव संसाधन) इस निर्णय की समीक्षा करने पर सहमत हुए।

(6) बिहार सर्किल के 140 क्षेत्रीय प्रबंधकों को अध्यक्षीय आदेश जारी करने के लिए माननीय कैट-CAT, पटना पीठ के आदेश का क्रियान्वयन।

माननीय कैट-CAT, पटना पीठ ने 20-03-2025 को बिहार सर्किल के 140 क्षेत्रीय प्रबंधकों को अध्यक्षीय आदेश जारी करने के लिए एक निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने कहा है कि आदेश प्राप्ति के 3 महीने के भीतर आदेश का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। हालाँकि, बीएसएनएल प्रबंधन ने अभी तक आदेश का क्रियान्वयन नहीं किया है। कल की बैठक में BSNLEU ने इस मामले की पूरी पृष्ठभूमि प्रस्तुत की और मांग की कि बीएसएनएल प्रबंधन माननीय कैट-CAT पटना पीठ के आदेश का क्रियान्वयन करे और प्रबंधन को CAT के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील नहीं करनी चाहिए। अंत में, निदेशक (मानव संसाधन) ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

(7) उत्कृष्ट खिलाड़ियों को करियर प्रोग्रेस से वंचित करना।

BSNLEU ने बताया कि कॉर्पोरेट कार्यालय ने कॉर्पोरेट कार्यालय के नियमों की गलत व्याख्या करके पाँच अधिकारियों, नंदिता दत्ता (पश्चिम बंगाल), राम कुमार (पंजाब), रवि कुमार (कर्नाटक), सुमित्रा पुजारी (असम), मनाली सिन्हा (असम) और अभिजीत दत्ता (असम) को करियर प्रोग्रेस से वंचित कर दिया है। BSNLEU प्रबंधन को लगातार पत्र लिखकर अपने गलत निर्णय की समीक्षा करने की मांग कर रहा है। कल की बैठक में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया गया। निदेशक (मानव संसाधन) ने प्रिंसिपल जनरल मैनेजर (एस्टा) को यूनियन प्रतिनिधियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने और इसका समाधान करने का निर्देश दिया।

(8) कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन और रियायतें स्वीकृत करने में अत्यधिक विलंब।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 24.02.2025 को कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन और रियायतें 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने का आदेश जारी किया। दूरसंचार विभाग ने मार्च, 2025 में इस आदेश का समर्थन किया। हालाँकि, कॉर्पोरेट कार्यालय ने भुगतान के लिए आदेश जारी नहीं किया है। चर्चा के बाद, निदेशक (मानव संसाधन) ने उत्तर दिया कि इस मुद्दे को शीघ्र अनुमोदन के लिए बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के समक्ष उठाया जाएगा।

(9) कर्मचारियों को वर्दी की आपूर्ति।

BSNLEU ने बताया कि तौलिया, वर्दी, जूते, चप्पल जैसी वर्दी की आपूर्ति बंद कर दी गई है। यूनियन ने मांग की कि इसे फिर से शुरू किया जाए। प्रबंधन पक्ष ने जवाब दिया कि कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा वर्दी की आपूर्ति रोकने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वर्दी की आपूर्ति जारी रखने के लिए इस मुद्दे को सर्कल स्तर पर उठाया जा सकता है।

(10) पहाड़ी, पर्वतीय और दूर-दराज के क्षेत्रों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विशेष मानदंड।

BSNLEU की लंबे समय से यह मांग रही है कि प्रबंधन पहाड़ी, पर्वतीय और दूर-दराज के क्षेत्रों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विशेष मानदंड लागू करे। BSNLEU मांग कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों की कठिनाइयों को देखते हुए, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विशेष मानदंड लागू किए जाएँ। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि पहाड़ी

और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पहले से ही विशेष मानदंड मौजूद हैं। हालाँकि, BSNLEU की लगातार मांग के कारण, प्रबंधन इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गया।

(11) कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस की स्वीकृति।

कल की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। निदेशक (मानव संसाधन) ने बताया कि कंपनी की वित्तीय तंगी के कारण त्यौहार अग्रिम भुगतान की व्यवस्था पुनः शुरू नहीं की जा रही है। हालाँकि, BSNLEU की लगातार मांग के बाद, वे इस मामले पर विचार करने के लिए सहमत हुए।

(12) पंजाब सर्कल के साथी करमजीत सिंह वालिया को टीएम पोस्टिंग।

पिछले टीटी एलआईसीई और जेई एलआईसीई में, कुछ ओए/सर्कल में योग्य उम्मीदवारों की कमी के कारण रिक्तियां नहीं भरी गईं। कुछ अन्य सर्किलों में, रिक्तियों की कमी के कारण योग्य उम्मीदवारों को पदोन्नति नहीं मिली। इसलिए, BSNLEU ने पहले ही मांग की है कि योग्य कर्मचारीयों को उन ओए/सर्कल में पदोन्नति की अनुमति दी जाए जहाँ पद रिक्त हैं। इस संबंध में, BSNLEU ने पहले ही मांग की है कि चंडीगढ़ जिले के साथी करमजीत सिंह वालिया को रोपड़ या पटियाला ओए में तैनात किया जाए। कल की बैठक में, यह मुद्दा एक बार फिर उठाया गया और निदेशक (मानव संसाधन) ने इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

***